छत्तीसगढ़ शासन
राजस्व एवं आपदा प्रबंधन विभाग
मंत्रालय, महानदी भवन,
नवा रायपुर, अटल नगर–492002

क्रमांक / 5073 / राजस्व / भू.अ. / 2022 नवा रायपुर, अटल नगर, दिनांक 23/11/2022

प्रति,

कलेक्टर समस्त
जिला.......................
छत्तीसगढ़

विषय :– भुईयां सॉफ्टवेयर में तहसीलदार/अतिरिक्त तहसीलदार/नायब तहसीलदार की आई.डी. में अभिलेख अद्यतन का प्रावधान दिए जाने बाबत्।

—000—

विषयांतर्गत भू–राजस्व संहिता 1959 की धारा–110 के प्रावधानों का अवलोकन करने का कष्ट करें।

धारा–110, कण्डिका–03 के अनुसार धारा–109 के अधीन प्रज्ञापना के प्राप्त होने पर या ऑनलाईन माध्यम से या किसी अन्य स्रोत से ऐसे अधिकार अर्जन की प्रज्ञापना के प्राप्त होने पर, तहसीलदार विहित समयावधि के भीतर ऑनलाईन ई–नामंतरण पोर्टल में नामांतरण की प्रकिया प्रारंभ करेगा। राजस्व प्रकरणों के त्वरित एवं समयबद्ध निराकरण हेतु नामांतरण पंजी को दिनांक 16.07.2020 से ऑनलाईन किया गया तथा भू–राजस्व संहिता की धारा–110 की कण्डिका–3 के उपरोक्त प्रावधान अनुसार नामांतरण एवं खाता विभाजन के प्रकरणों को ऑनलाईन नामांतरण पंजी के माध्यम से दर्ज करने तथा आपत्ति प्राप्त होने पर ई–नामांतरण पंजी से ई–कोर्ट में हस्तांतरित करने अन्यथा नामांतरण पंजी में ही निराकरण करने के निर्देश हैं। शासन द्वारा जारी किए गए निर्देशों के उपरांत भी पीठासीन अधिकारियों द्वारा नामांतरण एवं खाता विभाजन के प्रकरण नामांतरण पंजी के माध्यम से दर्ज नहीं कर सीधे ई–कोर्ट में दर्ज किया जा रहा है। जिससे अविवादित प्रकरणों के निराकरण में भी अनावश्यक विलंब हो रहा है, अतएव ई–कोर्ट अंतर्गत खसरा से संबंधित मूल प्रकरणों में शीर्ष अ–6 एवं अ–27 को हटा दिया गया है। अतः नामांतरण एवं खाता विभाजन के प्रकरण भू–राजस्व संहिता की धारा–110 की कण्डिका–3 अनुसार ऑनलाईन नामांतरण पंजी में दर्ज किया जाए तथा आपत्ति प्राप्त होने पर ई–कोर्ट में स्थानांतरित कर निराकरण किया जाए।

2/ धारा–110, कण्डिका–5 के अनुसार तहसीलदार, हितबद्ध व्यक्तियों को सुनवाई का युक्तियुक्त अवसर देने के पश्चात् तथा ऐसी और जांच, जैसा कि वह आवश्यक समझे करने के

पश्चात्, नामांतरण से संबंधित आदेश पारित करेगा तथा यथास्थिति, ग्राम के खसरे एवं नक्शा सहित ऐसे अन्य सुसंगत भू–अभिलेखों में आवश्यक प्रविष्टि करेगा। पटवारी, विहित समयावधि के भीतर अभिलेख में सुधार कर सत्यापित करेगा, तत्पश्चात् तहसीलदार प्रकरण नस्तीबद्ध करेगा अर्थात् पीठासीन अधिकारी भी अपने आदेश के परिपालन में स्वतः अभिलेख दुरूस्ती करने हेतु सक्षम हैं। दिनांक 18.11.2022 की स्थिति में नामांतरण एवं खाता विभाजन के 21919 प्रकरणों में आदेश पारित होने के पश्चात् भी अभिलेख दुरुस्ती हेतु लंबित हैं, जो कि विधि के प्रावधानों के विपरीत है। अतः विधि की मंशा के अनुसार समयावधि में अभिलेख दुरूस्ती सुनिश्चित करने हेतु तहसीलदार/अतिरिक्त तहसीलदार/नायब तहसीलदारों के आई.डी. में भी अभिलेख दुरुस्ती की सुविधा भुईयां सॉफ्टवेयर में उपलब्ध करा दी गई है। अतः समस्त आदेश पारित प्रकरणों में लंबित अभिलेख दुरूस्ती का कार्य आगामी तीन दिवस के भीतर तथा भविष्य में आदेश उपरांत निर्धारित समय–सीमा में अभिलेख अद्यतन कराना सुनिश्चित करें।

3/ ऑनलाईन नामांतरण पंजी अंतर्गत पटवारी प्रतिवेदन, पीठासीन अधिकारी द्वारा आदेश पारित करने एवं अभिलेख अद्यतन का कार्य First in First Out (FIFO) Order में 1 जनवरी 2023 से किया जाना प्रस्तावित है। FIFO क्रम में आवश्यकतानुसार रियायत दिये जाने के लिए पटवारी प्रतिवेदन एवं हल्का पटवारी द्वारा अभिलेख अद्यतन हेतु FIFO में छूट पीठासीन अधिकारी द्वारा एवं पीठासीन अधिकारी द्वारा आदेश पारित करने में FIFO में छूट अनुविभागीय अधिकारी (रा.) के अनुमोदन से दी जायेगी। कृपया इस FIFO व्यवस्था पर अपना अभिमत 30 नवंबर 2022 तक प्रेषित करने का कष्ट करें।

23/11/22

(नीलम नामदेव एक्का)
सचिव
छत्तीसगढ़ शासन
राजस्व एवं आपदा प्रबंधन विभाग

पृ.क./ /राजस्व/भू.अ./2022 नवा रायपुर, अटल नगर, दिनांक........

प्रतिलिपि :–

1. संचालक, भू–अभिलेख, छत्तीसगढ, नवा रायपुर, अटल नगर की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।
2. कार्यालय संभागायुक्त, संभाग..............................छत्तीसगढ़ की ओर सूचनार्थ प्रेषित।
3. कार्यालय क्षेत्रीय उप–आयुक्त भू–अभिलेख रायपुर/बिलासपुर, छत्तीसगढ़ की ओर सूचनार्थ प्रेषित।

सचिव
छत्तीसगढ़ शासन
राजस्व एवं आपदा प्रबंधन विभाग